

## उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता

### प्रलिस के लयः

समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14

### मेन्स के लयः

व्यक्तगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता के नहऱतऱरथ ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही उत्तराखण्ड सरकार ने [समान नागरिक संहिता \(UCC\)](#) को लागू करने और [उत्तराखण्ड के नवऱसयऱओं के व्यक्तगत मामलों को नयऱत्रतऱ करने वाले सभी प्रऱसंगकऱ कऱनूनों की समीकषऱ हेतु सर्वोच्च नऱयालय \(SC\)](#) के सेवऱनवृत्त नऱयाधऱश के नेतृत्व में एक वऱशऱषज्ज समतऱकऱ गठन कऱयऱ ।

- कुछ महीने पहले [इलाहाबाद उच्च नऱयालय](#) ने भी केंद्र सरकार से UCC के क्रयऱनवयन की प्रक्रयऱ शुरू करने को कऱहा थऱ ।

## समान नागरिक संहिता (UCC):

### परचयः

- समान नागरिक संहिता पूरे देश के लयऱ एक समऱन कऱनून के सऱथ ही सभी धऱरुमकऱ समुदऱयों के लयऱ **वऱवऱह, तलऱक, वऱरऱसत, गोद लेने** आदऱ कऱनूनों में भी एकऱूपतऱ प्रदऱन करने कऱ प्रऱवधऱन करतऱ है ।
  - संवधऱन के [अनुच्छेद 44](#) में वर्णनऱ है कऱ रऱज्य ढऱरत के पूरे कषेत्र में नऱगरकऱओं के लयऱ एक समऱन नऱगरकऱ संहतऱ सुनऱशऱकतऱ करने कऱ प्रयऱस करेगऱ ।
  - [अनुच्छेद 44](#), संवधऱन में वर्णनऱ [रऱज्य के नीतऱनऱदऱशक तत्त्वों](#) में से एक है ।
    - [अनुच्छेद 37](#) में प्रभऱषतऱ है कऱ रऱज्य के नीतऱनऱदऱशक तत्त्व संबंधऱ प्रऱवधऱनों को कऱसऱ भी नऱयालय द्वऱरऱ प्रवऱरतऱ नहऱ कऱयऱ जऱ सकतऱ है लेकनऱ इसमें नहऱतऱ सऱदऱधऱतऱ शऱसन वऱवसुथऱ में मऱलकऱ प्रकृतऱ के हऱंगे ।
- ढऱरत में UCC की सुथतऱऱः**
  - अधकऱंश सवऱलऱ मऱमलों में ढऱरत एक समऱन नऱगरकऱ संहतऱ कऱ अनुसरण करतऱ है, जैसे- [ढऱरतऱय अनुबंध अधनऱयऱम, 1972](#), नऱगरकऱ प्रक्रयऱ संहतऱ, मऱल बकऱरऱ अधनऱयऱम, संपत्तऱहसुतऱंतरण अधनऱयऱम, 1882, ढऱगऱदऱरऱ अधनऱयऱम 1932, [सऱकष्य अधनऱयऱम 1872](#) आदऱ ।
  - हऱलऱंकऱ कुछ मऱमलों में इऱन नऱगरकऱ कऱनूनों के तहत भी ढऱनऱनतऱ है कऱयोंकऱ रऱज्यों द्वऱरऱ इऱनमें सैकड़ों संशोधन कऱयऱ गऱए हैं ।
    - उदऱहरण के लयऱ कऱई रऱज्यों ने एक समऱन रूप से [मऱटर वऱहन अधनऱयऱम, 2019](#) को लागू करने से इऱनकऱर कर दऱयऱ थऱ ।
  - वऱरुतमऱन में [गऱवऱ एकमऱतुर ऐसऱ रऱज्य है जसऱने UCC को लागू कऱयऱ है](#) ।
- उत्पत्तऱः**
  - UCC की उत्पत्तऱ [बऱरऱटऱशऱ शऱसन के दऱरऱन वर्ष 1835 में प्रसुतुत की गई एक रऱपऱरुट](#) में नहऱतऱ है ।
    - इस रऱपऱरुट में अऱपरऱधऱओं, सबूतों और अनुबंधों से संबंधतऱ ढऱरतऱय कऱनून के [संहतऱकरण में एकऱूपतऱ की ऱवशुयकतऱ](#) पर ज़ऱर दऱयऱ गऱयऱ है, वऱशऱष रूप से यह अनुशऱंसऱ की गई है [कऱहऱदऱऱओं और मुसलमऱनों के व्यक्तगत कऱनूनों को इस तरह के संहतऱकरण से ढऱहर रऱखऱ जऱए](#) ।
    - व्यक्तगत मुद्दऱओं से नऱपऱटने वाले कऱनून में वृद्धऱ हुई । इऱसने सरकार को [वर्ष 1941 में हऱदऱ कऱनून को संहतऱबद्ध करने के लयऱ बी.ऱन. रऱव समतऱऱ ढऱनऱने के लयऱ वऱवऱश कऱयऱ](#) ।
    - [हऱदऱ उत्तरऱधकऱर अधनऱयऱम, 1956:](#)
      - बी.ऱन. रऱव समतऱऱ की अनुशऱंसऱओं के ऱधऱर पर [हऱदऱ उत्तरऱधकऱर अधनऱयऱम \(1956\)](#) को हऱदऱऱओं, ढऱद्धऱओं, जैनों और सऱरऱऱओं के ढऱच नऱरऱवसऱयत यऱ अनऱकषऱ से [उत्तरऱधकऱर से संबंधतऱ कऱनून](#) में संशोधन और संहतऱबद्ध करने के लयऱ अऱपनऱयऱ गऱयऱ थऱ ।
      - हऱलऱंकऱ मुसलऱमऱ, ईसऱई और पऱरसऱयऱओं के लयऱ [अलग-अलग व्यक्तगत कऱनून](#) थे ।

- **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय:**
  - एकरूपता लाने के लिये न्यायालयों ने अक्सर अपने नरिणय में कहा है कि सरकार को UCC की ओर बढ़ना चाहिये।
  - इस संदर्भ में **शाह बानो वाद (1985)** का नरिणय सर्ववदिति है।
  - एक अन्य मामला **सरला मुद्गल वाद (1995)** था, जो वविाह के मामलों पर मौजूद व्यक्तगित कानूनों के बीच द्वविाह और संघर्ष के मुद्दे का समाधान करता है।
  - **शायरा बानो वाद (2017)** में सर्वोच्च न्यायालय ने **तीन तलाक (तलाक-ए-बदिदत) की प्रथा को असंवैधानिक** घोषित किया था।
  - यह तर्क देते हुए कि तीन तलाक और बहुवविाह जैसी प्रथाएँ एक महिला के सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, **केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दिया गया संवैधानिक संरक्षण उन लोगों तक भी बढ़ाया जाना चाहिये जो मौलिक अधिकारों के अनुपालन में नहीं हैं।**

## समान नागरिकि संहति की आवश्यकता (UCC):

- सभी नागरिकों को समान माना जाना चाहिये और सरकारी प्रायोजन/धार्मिक स्थलों/कार्यक्रमों के नियमों को संविधान में वर्जित किया जाना चाहिये।
- UCC को लागू करने से भारत जैसे देश में जहाँ वभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, **धार्मिक वभिजन को कम करने में मदद मिलेगी।**
- UCC का प्रवर्तन कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगा, कानूनों को सरलीकृत करेगा और धर्मनरिपेक्षता के आदर्श का पालन करते हुए लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करेगा।

## समान नागरिकि संहति को अपनाने में चुनौतियाँ:

- **धर्मनरिपेक्षता की भारतीय अवधारणा के खिलाफ:**
  - कई लोगों को यह आशंका है कि UCC को लागू करने का प्रयास करके संसद केवल कानून के पश्चिमी मॉडल की नकल कर रही है जो एकरूपता पर आधारित है लेकिन धर्मनरिपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्म और लोगों की वविधिता पर आधारित है।
  - भारत में लोगों की अलग-अलग धार्मिक आस्थाएँ हैं। वविधि धार्मिक प्रथाएँ इसे हर धर्म के लिये बुनियादी मंच पर लागू करने के योग्य बनाती हैं।
  - अल्पसंख्यकों यानी मुसलमि, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों की यह गलत धारणा है कि UCC उनकी धार्मिक प्रथाओं को नष्ट कर देगी और उन्हें बहुसंख्यकों की धार्मिक प्रथा का पालन करने के लिये बाध्य किया जाएगा।
- **लोगों में जागरूकता का अभाव:**
  - सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा UCC के बारे में लोगों की अनभिज्ञता है और इस तरह की अनभिज्ञता का कारण शिक्षा की कमी, गलत समाचार, तर्कहीन धार्मिक वविश्वास आदि हैं।
- **सांप्रदायिक राजनीति:**
  - कई वविश्लेषकों का मत है कि समान नागरिकि संहति की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीतिके संदर्भ में की जाती है।
  - समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।
- **संवैधानिक बाधा:**
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में नहित समानता की अवधारणा के वरिद्ध है।

## आगे की राह

- परस्पर वविश्वास नरिमाण के लिये सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, कति इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादिता के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए।
- एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार वविाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग-अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिकि संहति में शामिल कर सकती है।
- सभी व्यक्तगित कानूनों को संहतिबद्ध किया जाना काफी महत्त्वपूर्ण है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके।
- मौलिक अधिकारों के संरक्षण और व्यक्तियों की धार्मिक हठधर्मिता के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिये। यह धार्मिक या राजनीतिक वचारों के संबंध में बना किसी पूर्वाग्रह के एक कोड होना चाहिये।

## वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. मौलिक अधिकारों की नमिनलखिति श्रेणियों में से कसि एक में भेदभाव के रूप में असस्पृश्यता के वरिद्ध संरक्षण का प्रावधान है? (2020)

- शोषण के वरिद्ध अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- समानता का अधिकार

उत्तर: (D)

व्याख्या:

- भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की छह श्रेणियाँ हैं:
  - समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
  - स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
  - शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
  - धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
  - सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
  - संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) के अंतर्गत अनुच्छेद 17 असंपृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण नषिद्ध करता है। असंपृश्यता से उपजी किसी नरियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो वधि के अनुसार दंडनीय होगा।
- अतः विकल्प (D) सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/uniform-civil-code-in-uttarakhand>

